05/4/18 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० नहीं।

वादी के वाद का सारांश: रहा कि हाल आराजी ख० नं० 1252/0.76 है०

वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर का 1/3 भाग

विवादित आराजी कहलायेगा जो सम्पूर्ण रकबा पारसराम,

किशनलाल, मातादीन पुत्रान ख्याली एवं लहरी, हेतराम

पुत्रान कालिया जाट खिवालीमान रामो 6 के कब्जे काश्त

खातेदारी की आराजी रही है। आराजी मुतनाजा वादी ने

तत्कालीन खातेदार की खरीद शुदा जनक व्यक्तियों सहित जिसका

05/7/89 को जरिये रजि० शुदा बैयनामा का कब्जा एवं

बदल खातेदार खरीद शुदा है। बयनामा के आधार पर

क्रेतागण के नाम इन्तकाल दर्ज हो गया। मौके पर कोई

विवाद नहीं है व मौके पर कब्जे हिस्से आराजी पर काबिज

होकर काश्त करते आ रहे हैं। तहखातेदारों को पक्षकार

नहीं बनाया गया है। बैयनामा 05/7/89 में डीड

राइटर ने वादी का ... जगह के

स्थान पर महावीर पुत्र जगराम लिख दिया है जबकि

Sd/-

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:26:52 IST
Reason: SelfAttested

...ख ...न	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्ब... हुक...
	उसे वादी का नाम उपदेश ही लिखाया गया था। इसलिए बयनामा अनुसार इन्तकाल में भी महावीर पुत्र जगराम के नाम दर्ज हो गया जो गलत इन्द्राज है। वादी के सिवाय महावीर नाम का व्यक्ति जगराम के अन्य कोई वारिस नहीं है। जगराम के वादी उपदेश सिंह एवं ह० प्रतिवादी महेन्द्र सिंह ही पुत्र हैं एवं इनके सिवाय महावीर नाम का अन्य कोई लड़का जीवित या मृत्यु वारिस नहीं है। वादी का नाम अन्य समस्त दस्तावेजात राशनकार्ड पहचान पत्र आधार कार्ड शिक्षण दस्तावेजात अन्य दस्तावेजात में उपदेश सिंह दर्ज है परन्तु बयनामा में टाईपराईटर की गलती से उपदेश सिंह के स्थान पर महावीर नाम लिख दिया गया है। वादी का नाम बयनामा गलत लिखा जाने से राजस्व रिकार्ड में भी गलत दर्ज हो गया है जिससे वादी आराजी का तबादला, क्रेडिट कार्ड बनवाने आदि से महरूम हो रहा है तथा आराजी का समुचित तरीके से उपयोग उपभोग करने में परेशानी हो रही ~~है~~ आदि-आदि का निवेदन करते हुए अटक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री इस्तकरारहक मय दुरुस्ती पारित की जाकर मिन वादी का नाम महावीर पुत्र जगराम को हजफ किया जाकर उनके स्थान पर उपदेश सिंह पुत्र जगराम दर्ज किये जाने व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का निवेदन रहा। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादीगण को ... गया मुताबिक जवाब वादी एवं सिक नोट के बाबत ... पेश होकर शामिल पत्रावली है। वादी ने अपने वाद पत्र ... जमाबन्दी सं० 2071-74, बयनामा की ... पैन कार्ड, पत्रिका राशनकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छायाप्रतियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत लालपुर का दिनांक 11-10-2019 का प्रमाण पत्र जिसमें राजस्व रिकार्ड में महावीर दर्ज होना एवं समस्त सरकारी दस्तावेजात में शुद्ध नाम उपदेश सिंह होना व महावीर नाम का अन्य कोई शख्स नहीं होने के बाबत Sd/- सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज०	

Signature Not Ve...
Digitally signed by R...
Rajawat
Date: 2021.07.29 13...
Reason: SelfAtteste...

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर एवं ता हुक्म की ता

के अंकन का पेश किया एवं स्वयं का शपथ-पत्र पेश किया
है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौरान
बहस वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते
हुए वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात में उपदेश सिंह दर्ज होना
एवं डीड राईटर द्वारा गलती से उपदेश सिंह के स्थान पर
महावीर नाम लिख दिया जाना एवं मुताबिक बयानात गलत लिखा
जाने से राजस्व रिकार्ड में भी गलत दर्ज हो गया है जिससे
आवेदक का समुचित तरीके से उपभोग उपयोग करने में परेशानी
हो रही है, निवेदन के साथ-साथ वादी के वाद को
डिक्री किये जाने का अभिकथन किया। एवं पत्रावली

वकील वादी की बहस सुनी गई अवलोकन किया गया।
व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का राजस्व रिकार्ड के
जिसमें ~~खाता~~ खाता में अंकित हुआ है वादी के वाद को यह
नाम अंकित है। इस प्रकार से वादी के
न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी
के वाद को आंशिक योग्य पाये जाने की स्थिति में आ0
ख0नं0 1252/0.76 हैक्टर के 1/3 भाग वाके ग्राम नंगला खुर्द
तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) के बाबत के वादी
के वाद को स्वीकार किया जाता है। ...
डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल ...
से कमरे दाखिल दफ्तर ...
हो। सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:26:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 113/2021 दायरा दिनांक :—26.02.2021 पर्चा डिक्री दिनांक :— 05.04.2021

1. उपदेश सिंह पुत्र श्री जगराम जाति जाट निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर, अलवर, राज0

.... वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

.... प्रतिवादी

2. महेन्द्र सिंह पुत्र जगराम जाति जाट निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

.... तर प्रतिवादी

दावा ईश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री धर्मवीर बडसीवाल एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 05.04.2021** को **श्री रामसिह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:—**

वादी के वाद को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.76 है0 के 1/3 भाग वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) के बाबत के वादी के वाद को खारीज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:26:52 IST
Reason: SelfAttested

5/4/21

सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला अलवर राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0